कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जिला नागौर

क्रमांक : आईजीआरवाई/2022–23/2117-2127 दिनांक : 04.06.22

विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत लागू इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना (IRGY-URBAN) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिले की नगर परिषद्/नगर पालिकाओं में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.56(क)सीई/डीएलबी/IGRY-(U)/2022–23/32911–943 दिनांक 12.05.2022, एस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमए(टी)/डीएलबी/2022/3692–3724 दिनांक 31.05.2022 एवं एस्टे/एम/एफ.10( )/ आरएमए(टी)/डीएलबी/2022/5818–51 दिनांक 01.06.2022 द्वारा जारी स्वीकृति के क्रम में संलग्न परिशिष्ठ–1 में अंकित विवरण के अनुसार विभिन्न पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ठ–2 में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.17(4)डीओपी/ए–2/2014 दिनांक 11.01.2022 के अनुपालना में श्रेणीवार आरक्षित पदों का वर्गीकरण परिशिष्ठ–3 में संलग्न है।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय प्रमाणित शैक्षणिक/अनुभव/जाति प्रमाण–पत्रों के दस्तावेज सहित दिनांक 20.06.2022 तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक नागौर में व्यक्तिशः भिजवा सकते है। विज्ञप्ति से संबंधित अन्य सूचनायें/निर्देश जिला की वेबसाईट https://nagaur.rajasthan.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रतिया संलग्न की जावे।

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक
नागौर।

क्रमांक : आईजीआरवाई/2022–23/2118-2127 दिनांक : 04.06.22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :

1. श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
4. जिला कोषाधिकारी, नागौर
5. आयुक्त, नगर परिषद् नागौर, मकरान, कुचामनसिटी
6. अधिशाषी अभियंता न.प.नागौर ।
7. अधिशाषी अधिकारी, न.पा. मूण्डवा/कुचेरा/मेड़तासिटी/डेगाना/परबतसर/डीडवाना/लाडनू/नावां/जायल/बोरावड/खाटूश्यामजी
8. कनिष्ठ लेखाकार न.प. नागौर।
9. श्री सम्पादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर/दैनिक नवज्योति को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तर पर करवाना सुनिश्चित करावे।
10. सुरक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक
नागौर।

क्र.सं.	पदनाम	योग्यता एवं मानदेय	नगर पालिका श्रेणी– चतुर्थ एवं तृतीय कुल 09	नगर पालिका श्रणी द्वितीय कुल – 2	नगर परिषद् कुल – 3	कुल पद
1	वरिष्ठ तकनिकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर / स्नातक डिग्री + एवं कम्प्यूटर की बेसिक नॉलेज (40000 / –)	9	2	3	14
2	कनिष्ठ तकनिकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री / डिप्लोमा (30000 / –)	18	4	9	31
3	लेखा सहायक	बी.कॉम / सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.) / ICWA (इन्टर) / कम्पनी सेक्रेटरी (इन्टर) (25000 / –)	9	2	6	17
4	MIS मैनेजर	BCA (25000/-)	9	2	6	17
5	शहरी रोजगार सहायक	स्नातक + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण (15000 / –)	18	6	12	36
6	मशीन विथ मैन	सीनियर सैकण्डरी + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण (10000 / –)	18	4	9	31

नोट :– नगर परिषद् कुल – 3 (नागौर, मकराना व कुचामन)
नगर पालिका द्वितीय श्रेणी कुल – 2 (डीडवाना व मेड़ता सिटी)
नगर पालिका तृतीय श्रेणी कुल – 9 (लाडनूं, परबतसर, नावां, मुण्डवा, कुचेरा, डेगाना, जायल, बोरावड़ व बासनी)

आवेदन का प्रारूप

जिला : नागौर

आवेदक का नवीनतम फोटो

1	आवेदक का नाम	
2	लिंग (पुरूष / स्त्री)	
3	पिता या पति का नाम	
4	आवेदक की जन्मतिथि	
5	मूल निवासी	
6	पद जिसके लिए आवेदन	
7	आवेदक की शैक्षिक योग्यता	
8	अनुभव	
9	वर्ग	
10	पत्र व्यवहार का पता	
11	मोबाईल नम्बर	
12	ई–मैल आईडी	

13	शैक्षणिक स्तर	वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्राप्तांक	प्रतिशत	अन्य
	माध्यमिक					
	सी. सैकेण्ड्री					
	डिग्री / डिप्लोमा					
	अन्य योग्यता					

नाम मय पत्र व्यवहार
का पता

शपथगृहिता

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाऐं सत्य है एवं कोई भी तथ्य छुपाये नही गये है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर

शर्ते :–

1. संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट के आधार पर होगी इसके लिए साक्षात्कार हेतु कोई प्रावधान नही रखा गया है।
2. संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी।
3. कनिष्ठ तकनिकी सहायक पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्री धारियों तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमा धारियो से भरे जावेगें।
4. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31.03.203 तक प्रभावी रहेगी।
5. चयनोपरान्त एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में अनुबन्ध किया जावेगा एक से अधिक अनुबंध करने पर संविदा नियुक्ति अनुबंध स्वतः ही निरस्त माना जावेगी। (हइस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य है।) चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन परिशिष्ठ–1 अनुसार जिला नागौर के किसी भी निकाय में जरिये लॉटरी से किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थी स्थान विशेष पर पद स्थापन्न की मांग नही कर सकेगा। लॉटरी द्वारा आंवटन स्थान पर कार्य ग्रहण नही करने पर 03 दिवस पश्चात् आरक्षित सूची (वेटिंग लिस्ट) से अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्ति दी जावेगी।
6. शहरी रोजगार संविदा पद हेतु स्नात्तक + RSCIT के प्राप्तांको के आधार पर की जावेगी परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नात्तक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जावेगा।
7. संविदा भर्ती में आवेदन पूर्णतयः निःशुल्क है। आवेदन पत्र नागौर जिला की वेबसाईट http://nagaur.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. संविदा भर्ती के पदों का आरक्षण राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 के आधार पर निर्धारित होगा।
9. आयु – न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष (दिनांक 01.06.2022 तक) एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2022 के अनुसार वर्ग की पात्रता अनुसार छुट देय होगी।
10. आवेदन पत्र A-4 साईज के कागज पर निर्धारित प्रारूप में पूर्णतया भर कर नगर परिषद्, नागौर में निर्धारित तिथि तक जमा करवाने होगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगी।
11. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धि प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। आरक्षण हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। आयु का निर्धारण 10वी. कक्षा की अंकतालिका/जन्मप्रमाण पत्र के आधार पर होगा। चरित्र प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह/संतान सम्बन्धि प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हो आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकते है तथा संविदा नियुक्ति के समय दस्तावेजो की मूल प्रतियॉ लानी आवश्यक होगी। अन्यथा संविदा नियुक्ति नही दी जावेगी।
12. आवेदन की सभी प्रविष्टिया पूर्ण होनी आवश्यक है तथा तदानुसार सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित फोटो प्रतियॉ संलग्न होने आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
13. संविदा कार्मिको की नियुक्ति के लिए अनुबंध सम्बन्धित आंवटित नगर परिषद/नगरपालिका द्वारा सम्पादित किया जावेगा

14. संविदा कार्मिक की सेवाऐं संतोषप्रद नही होने पर संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
15. अभ्यर्थी राजस्थान में किसी भी योजना से अनियमित/गबन/पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही के आरोपो में ब्लैक लिस्टेड, संविदा पृथक किये गये अभ्यर्थी आवेदन योग्य नही माने जावेगें। चयनित अभ्यथी को अनुबंध के साथ आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
16. किसी भी तरह का विवाद होने पर जिला परियोजना समन्वय समिति नागौर का निर्णय मान्य होगा।
17. उक्त संविदा अनुबंध व शर्ते कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्य F.1(14)DOP/A-2/2014 Jaipur दिनांक 11.01.2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्यतः/पूर्णरूपेण लागू रहेगी। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त अधिसूचना कार्मिक विभाग की साईट पर उपलब्ध है।

परिशिष्ठ–4

(i) 01.06.2002 को जीवित सन्तानों का विवरण :–

क्र.सं.	बच्चे /सन्तान का नाम	जन्म तिथि
1		
2		
3		
4		

(ii) 01.06.2002 के पश्चात् उत्पन्न बच्चों /सन्तानों का विवरण :–

क्र.सं.	बच्चे /सन्तान का नाम	जन्म तिथि
1		
2		
3		
4		

(iii) कुल जीवित बच्चे/ सन्ताने :–

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम व पूर्ण पता